राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

जयपुर दिनांक 15.04.2024

क्रमांक:

मैसर्स Morula Healthtech Pvt. Ltd. Plot No. 38, First Floor, Rajeshwari Street, Santosh Nagar, Kandanchavadi, Chennai-600096 Tamil Nadu.

............अपीलान्ट

बनाम

Managing Director, Rajasthan Medical Services Corporation, Jaipur

............रेस्पोंडेंट

द्वितीय अपील संख्या
अपील अन्तर्गत धारा 38(4), राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012

निर्णय दिनांक 15.04.2024

अपीलार्थी फर्म मैसर्स Morula Healthtech Pvt. Ltd. Plot No. 38, First Floor, Rajeshwari Street, Santosh Nagar, Kandanchavadi, Chennai-600096 Tamil Nadu. द्वारा उपरोक्त द्वितीय वर्णित अपील की है। इस संबंध में रेस्पोन्डेन्ट के द्वारा दिनांक 02.04.2024 को अपील प्रस्तुत की गई। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा दिनांक 15.04.2024 को जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में दिनांक 15.04.2024 को सुनवाई आयोजित को गई। सुनवाई के दौरान अपीलार्थी की तरफ से श्री परमेश शर्मा तथा रेस्पोंडेन्ट निगम की तरफ से श्री हरीश लालवानी (कार्यकारी निदेशक उपापन), श्री धर्मेन्द्र शर्मा, फार्मासिस्ट प्रथम उपस्थित हुए।

अपीलार्थी फर्म की प्रथम अपील दिनांक 16.01.2024 को सक्षम प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2024 द्वारा स्वीकार किया जा चुका है।

प्रथम अपील स्वीकार किये जाने के पश्चात दिनांक 06.03.2024 को रेस्पोंडेंट के द्वारा अपीलार्थी को कमियों के लिए स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए पत्र दिया गया जिस पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.03.2024 को जवाब दिया गया जिस पर दिनांक 26.03.2024 को रेसपोन्डेंट के द्वारा अपीलार्थी को निम्न दो कारणों से नॉन रेसपोसिव घोषित किया गया :–

1. Non Conviction Certificate not submitted for import license number Imp/MD/2022/000357 which was quoted in Anneexure-VII/product permission in original bid. Firm submitted Non Conviction certificate for different licence number Imp/MD/2020/000412.
2. Work order/purchase order invoices and challan receipt of each year for last three years in Govt. of Rajasthan/Govt. of India/AIIMS/POI/Army base Hospital Govt. Medical Corporation submitted only for once year (2023) instead of three years.

इस पर अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 02.04.2024 को प्रस्तुत की गई।

अतः पत्रावली का अध्ययन किया गया। दोनों पक्षों को सुनने पत्रावली, निविदा शर्तों, आर.एम.एस.सी.एल एक्ट एवं नियमों तथा अन्य संदर्भो का अध्ययन करने पर पाया गया कि टेण्डर कन्डीशन के अनुसार technical bid clause no. 5 (k) which states that "NCC should be issued by the Drugs Controller of the state or Drugs Controller of Central Licensing authority for drug items only. It should be recent and not more than one year old. के अनुसार Drug item only के पहले quoted or Bidded word नहीं पाया गया जबकि टेक्नीकल बिड के अन्य सभी कन्डीशन में Drug item only के पहले quoted or Bidded word वर्णित पाया गया।

दूसरे कारण में Work order टेण्डर कन्डीशन में नहीं था और वर्णित यह कन्डीशन टेण्डर में इनके लिए लागू नहीं होती है क्योंकि अपीलार्थी एक इम्पोटर फर्म है एवं Eligibility Criteria के Clause No. C में स्पष्ट है कि In case of imported products, market standing for the product in international market would be considered for establishing eligibility regarding this particular clause of the bidding document.

यह भी जानकारी में लाया गया कि रेसपोन्डेंट द्वारा दिनांक 18.01.2024 को जारी ई बिड टेण्डर कन्डीशन के अनुसार technical bid clause no. 5 (k) "Drug item only" की कन्डीशन ही हटा दी गई है जबकि रेसपोन्डेंट द्वारा दिनांक 25.07.2023 को जारी ई बिड टेण्डर कन्डीशन के अनुसार technical bid clause no. 5 (k) में Drug item only कन्डीशन थी, इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य सही है।

अतः इनकी अपील स्वीकार की जाती है, तथा प्रकरण MD, RMSCL को पुनः परीक्षण हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

(शुभ्रा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी

आदेश

अपीलार्थी की अपील अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है। निर्णय से सभी पक्षकारों को अवगत कराया जावें। आदेश की प्रति पक्षकारान को निशुल्क उपलब्ध कराई जाकर विभाग के पोर्टल पर भी प्रदर्शित किया जावें। पत्रावली निर्णय से सम्मिलित की जाकर कार्यालय में नियमानुसार संधारित की जाये।

(शुभ्रा सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी